तीन माह में 40 हजार युवाओं को दिया जाएगा ऋण : राकेश सचान

सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में इस वर्ष 1.5 लाख को ऋण का लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री राकेश सचान ने कहा है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत आगामी तीन माह में 40 हजार युवाओं को ऋण वितरित किया जाएगा। इस वर्ष 1.5 लाख युवाओं को योजना के तहत ऋण वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उन्होंने सोमवार को निर्यात भवन के सभागार में विभाग की तीन माह की कार्ययोजना की समीक्षा की। कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर पूरी गंभीरता से काम किया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैंकों व शैक्षणिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के साथ अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ा जाए। एमएमएमई मंत्री ने कहा कि आइआइटी, एकेटीयू, एचबीटीयू, लखनऊ विश्वविद्यालय और एमिटी विश्वविद्यालय के सहयोग से युवा उद्यमी कान्क्लेव का आयोजन अगले तीन सप्ताह में कानपुर और लखनऊ मंडलों में प्रस्तावित है। इस कान्क्लेव में फ्रेंचाइजी बिजनेस, मशीनरी सप्लायर्स और बिजनेस आन व्हील्स से जुड़े विशेषज्ञ अपने बिजनेस माडल प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने जिला उद्योग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिलाधिकारियों के साथ समन्वय कर विभाग की योजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। हस्तशिल्पियों और लघु उद्यमियों के लिए पुरस्कार व पेंशन और प्रशिक्षण योजनाओं के तहत बजट स्वीकृतियों को समय पर जारी कराया जाए और संबंधित जिलों को लक्ष्य आवंटित किए जाएं। उन्होंने ओडीओपी योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर एसआरएलएम के सहयोग से 5,000 सोलर शाप कम सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही विभागीय पोर्टल को और सरल बनाया जाएगा। आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के. विजेन्द्र पांडियन ने बताया कि एमएसएमई नीति-2022 के तहत औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए निजी निवेशकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

एमएसएमई मंत्री ने की विभागीय कार्ययोजना की समीक्षा, कहा- बजट स्वीकृतियों को समय पर जारी कराया जाए

पान मसाला और तंबाकू उत्पादन पर न मिलेगा ऋण

युवा उद्यमी अभियान के तहत पांच हजार से ज्यादा प्रकार के उद्यम लगाने के सुझाव युवाओं को उपलब्ध कराए गए हैं। खास बात यह है कि तंबाकू, शराब उत्पादन, पान मसाला, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ और 40 माइक्रान से कम के कैरीबैग के उत्पादन के लिए ऋण नहीं दिया जाएगा।

होमगार्ड के 44 हजार पदों पर भर्ती के लिए बनी नियमावली

राज्य, जागरण, लखनऊ: प्रदेश में होमगार्ड के 44 हजार पदों पर भर्ती के लिए तैयार की गई नियमावली शासन को भेज दी गई है। जल्द ही कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसी नियमावली के आधार पर होमगार्ड की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड के पदों पर भर्ती के लिए नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए थे।

होमगार्ड की भर्ती दो चरणों में करने की तैयारी की जा रही है। दोनों चरणों में 22-22 हजार होमगार्ड जवानों की भर्ती की जाएगी। होमगार्ड की भर्ती सिपाही भर्ती की तरह ही होगी। लिखित परीक्षा के बाद दौड़ होगी और फिर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। होमगार्ड में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का हाईस्कूल पास होना जरूरी है। साथ ही, 18 से 45 आयु वर्ग के अभ्यर्थी ही भर्ती के योग्य होंगे। निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाने के लिए होमगार्ड विभाग ने उप्र पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के नियमों का अध्ययन कर नियमावली तैयार की है। महिला होमगार्ड की भर्ती के लिए पुलिस भर्ती की तरह ही 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाने के साथ ही अन्य नियम भी लागू होंगे। होमगार्ड जवानों की अंतिम भर्ती वर्ष 2011 में हुई थी। होमगार्ड के 1,18,348 पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में लगभग 75 हजार होमगार्ड स्वयंसेवक ही कार्यरत हैं।